महत्वपूर्ण

संख्या–6534/नौ–5–2013–118सा/2013

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2–निदेशक, स्थानीय निकाय, उ.प्र. लखनऊ।
3–समस्त नगर आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4–समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
5–मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊ:: दिनांक 20 सितम्बर, 2013

विषयः–संगठित विकास योजना से आच्छादित भूमि/भवन का क्रय/विक्रय रजिस्टरी के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में आया है कि संगठित विकास योजना से आच्छादित भूमि/भवन के क्रय/विक्रय रजिस्ट्री के माध्यम से नहीं कराया जा रहा है, जिससे राज्य सरकार को राजस्व की हानि हो रही है।

2– उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संगठित विकास योजना से आच्छादित भूमि/भवन का क्रय विक्रय रजिस्ट्री के माध्यम से करायी जाय तथा यदि सन्दर्भित योजना के अन्तर्गत भूमि/भवन की ब्रिकी बिना रजिस्ट्री के माध्यम से की गयी है तो सम्बन्धितों के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही करते हुए शासन को एक सप्ताह के अन्दर अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
20/9/2013
(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या–6534(1)/नौ–5–2013, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. वित्त (संसाधन) अनुभाग को उनके पत्र संख्या–आर.जी.–535/दस–2013–49/2012 दिनांक 14.05.2013 के क्रम में।
2. समस्त अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ.प्र.
3. कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।